न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 43/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2016/ 00050)

लक्ष्मी पुत्री स्व. बागाराम जाति नायक पेशा गृहणी निवासी वार्ड सं. 19 तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. भानीराम तथाकथित पुत्र बागाराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री स्व. बेगराज जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. मांगीलाल उर्फ डोगरदास पुत्र बेगराज जाति नायक साकिन लाखासर तहसील नोहर।
4. कालूराम पुत्र स्व. बेगराज जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर। जरिये सरक्षिका बड़ी बहिन सुमन पुत्री बेगराज जाति नायक साकिन लाखासर तहसील नोहर।
5. पार्वती पत्नी किरसन जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल इन्द्रपुरा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगगानगर (मृतक)
   - 5/1 ओमप्रकाश पुत्र किरसन जाति नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील सादूलशहार जिला श्रीगंगानगर।
   - 5/2 बनवारीलाल पुत्र किरसन जाति नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।
   - 5/3 सुनीता उर्फ चिड़िया पुत्र किरसन पत्नी ओमप्रकाश जाति नायक निसासी 17 के.एस.डी. नूरपुरा की ढाणी तहसील मटीली जिला श्रीगंगानगर।
6. सन्तोष पत्नी किरसन जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल मौजूखेड़ा (ढाणी रायकान) तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
7. तहसीलदार राजस्व नोहर।

रेस्पोडेंट्स

8. सरबती पत्नी स्व. बागाराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर
9. राजू पुत्र स्व. बागाराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
10. मीना पुत्री स्व. बागाराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
11. राजबाला पुत्री स्व. बागाराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।

तरतीबी रेस्पोडेट्स

उपस्थित:

1. श्री हरीश मदान – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3, 4, 5/1 ता 5/3, 6
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

अति.संभागीय आयुक्त बीकानेर

निर्णय दिनांकः 31.08.2022

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) नोहर के निर्णय दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सरबती पत्नी बागाराम ने तहसीलदार नोहर के संमक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसके पति बागाराम पुत्र भैराराम नायक तहसील नोहर के रोही मौजा लाखासर के खं. नं. 35 की कुल तादादी 56.17 बीधा में से 1/3 हिस्सा की वसीसत प्रार्थीया एवं उसके पुत्र पुत्रिया के पक्ष में कर दी है तथा प्रार्थीया के पति दिनांक 5.5.2011 को फौत हो चुके है। अतः मुताबिक वसीसत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश फरमावे। जिस पर तहसीलदार (भू.अ.) नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.06.2016 वसीसत में वर्णित भूमि वसीयतकर्ता की स्वअर्जित सम्पत्ति नही होने व विवादित होना मानते हुए पत्रावली खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 8 ता 11 के निमित नोटिस जारी किये गये तथा अखबार में इनके निमित नोटिस प्रकाशन करवाने के बावजूद उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि बागाराम पुत्र भैराराम नायक तहसील नोहर के रोही मौजा लाखासर के खं. नं. 35 की कुल तादादी 56.17 बीधा भूमि थी, उसमे से 1/3 हिस्सा अपनी पत्नी सरबती, राजूराम, मीना कुमार,राजबाला, व अपीलान्ट लक्ष्मी पि. बागाराम के पक्ष में स्वेच्छया वसीसत निष्पादित की थी। बागाराम की मृत्यु दिनांक 5.5.2011 को हो चुका था। वसीसत अनुसार नामान्तरण आदेश पारित करने के लिए मातहत अदालत में कार्यवाही की थी परन्तु मातहत अदालत ने बिना सुनवाई का अवसर दिये पत्रावली खारिज कर दी। अदालत मातहत ने फर्द अहकाम

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 26.02.2015 को अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम गवाह व सबूत पेश करने हेतु नोटिस जारी करना बताया है तथा दिनांक 17.3.2015 की फर्द अहकाम मे तामिल रिपोर्ट प्राप्त नही हुई लिखा है उसके बाद मातहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी नही किये। तथा दिनांक 6.4.2015 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 का ऐतराज शामिल करना बताया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नही दिया। सरपच ग्राम पंचायत लखासर की रिपोर्ट लिए बिना ही वसीयत को विवादित एवं झूठा मानकर पत्रावली खारिज कर दी। वसीसत को सही या गलत मानना राजस्व न्यायालय तय नही करता, यह सिविल न्यायालय तय करता है। वसीयत बागाराम द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि की गई थी जिसके लिए वह स्वतंत्र था। अदालत ने विविध दीवानी प्रकरण सं. 10/2010 अनवानी भानीराम बनाम हर आम खास वगैरह निणय दिनांक 29.6.15 व प्रमाण पत्र दिनांक 27.7.15 विधि विरूद्व एक पक्षीय तौर पर तथ्यो को छुपाते हुए पारित किया गया है तथा प्रमाण पत्र में असत्य का सुझाव देकर तथा प्रकरण की तात्विक बात को न्यायालय हाजा से छिपा कर कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत तथ्यो को छुपाते हए मनगढत व मिथ्या तथ्यो का अभिकथन करते हए मृतक बागाराम के उत्तराधिकारी घोषित करवा लिए। रेस्पोडेन्ट सं. 1 भानीराम जो अपने आप को बागाराम का पुत्र वताता है जबकि वास्तव में यह उनका पुत्र नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा स्वेच्छाचारितापूर्ण निर्णय मनमाने तौर से पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.06.2016 अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट के हक में वसीयत अनुसार इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिये जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक अपने कथन के समर्थन मे 2012 (1) CIVIL COURT CASES 776 UTTARAKHAND HIGH COURT, 1995 (2) CIVIL COURT CASES 280 (2) PUNJAB &

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

HARAYANA HIGH COURT, 2016 (1) CIVIL COURT CASES 823 BOMBAY HIGH COURT, TRANSFER OF PROPERTIY ACT SECTION 5 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या सं. 1, 2, 3, 4, 5/1 ता 5/3, 6 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि उक्त विवादित भूमि भैराराम के नाम थी जो पैतृक सम्पत्ति थी। पैतृक सम्पत्ति की वसीयत नही की जा सकती है। अपीलान्ट का वारिसनामा फर्जी था, वो खारिज हो चुका है। अपीलान्ट वारिस नही है। अपील मे वर्णित भूमि व इन्तकाल बाबत प्रकरण अपर सिविल न्यायाधीश नोहर के निर्णय पर हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा स्टे कर रोक लगा दी है। इसके अलावा इनकी अपील मियाद बाहर पेश की गई है, अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट का वकील हाजिर था। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी शुरू से थी। इनके द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र झूठा है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2013 पेज 515, RRD 2010 पेज 392, RRD 2010 पेज 556, RRD 2009 पेज 128, RRD 2007 पेज 672, RRD 1978 पेज 375, RRD 1999 पेज 618, RRD 2000 पेज 557, RRD 1984 पेज 261, RRD 1986 पेज 22, RRD 2011 पेज 786, HIGH COURT JUDICATURE FOR RAJASTHAN JODHPUR S B CIVIL MISC APPEAL NO 2954/2019 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्रो को निस्तारित निम्नानुसार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से दफा– 5 मियाद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.06.2016 राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं. 8 ता 11 के विरूद्व बिना किसी सूचना के पारित किया गया है जिसकी जानकारी दिनांक 21.08.2016 को होने पर दिनांक 22.08.2016 को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आवेदन किया तथा दिनांक 26.08.2016 को नकल मिलने पर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मेकीटोरियस तथा वसीयत का प्रश्न अन्तवर्लित होने से मियाद अवधि लागू नही होती, जवाब प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी की ओर से कथन किया की अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को थी क्योकि गत तारीख पेशी 20.05.2016 को वे उपस्थित थे। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट को गत तारीख पेशी 20.05.2016 पर का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होने का कथन प्रमाणित नही होता है। क्योंकि ना तो अपीलान्ट की उपस्थिति दर्ज है ना ही आदेशिका में उपस्थिति का उल्लेख है। अतः प्रार्थना पत्र दफा – 5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.2021 के द्वारा प्रार्थी ने अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर के निर्णय दिनांक 29.06.2015 एवं 15.10.2019 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया, जो कि विचाराधीन प्रकरण से संबधित होने के कारण रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2022 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 15.10.2019 के आदेश आदेश दिनांक 05.11.2020 को नामान्तरकरण की प्रति प्रस्तुत की है जो कि अप्रमाणित प्रति होने के कारण साक्ष्य मे पढने योग्य नही है।

8. उक्त अपील तहसीलदार (भू.अ.) नोहर के निर्णय दिनांक 13.06.2016 के विरूद्व पेश की है जिसमे तहसीलदार नोहर के द्वारा ग्राम लाखासर में वसीयत कर्ता बागाराम पुत्र भैराराम जाति नायक की 1/3 हिस्से की वसीयत प्रार्थना पत्र को वसीयत में वर्णित भूमि स्वअर्जित नही होने, विवादित होने के आधार पर पत्रावली खारिज की गई है। निर्णय में यह अंकित किया है कि वसीयत में वर्णित भूमि पैतृक है एवं वसीयत के संबध में एक वाद माननीय सिविल न्यायालय में जैरकार है तथा विचाराधीन वसीयत को उपस्थित मौतबिरान के समक्ष पढ कर सुनाया गया, मौतबिरान ने विचाराधीन वसीयत को विवादित होना व वसीयत को झूठा होना स्वीकार

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया के आधार पर पत्रावली खारिज की है। जबकि भूमि के पैतृक होने के संबध मे निष्कर्ष किस आधार पर लिया गया है स्पष्ट नही हैं, तथा वसीयत के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय मे कौनसा वाद विचाराधीन है, कौन कौन पक्षकार है जिसका कोई उल्लेख नही है राजस्व लोक अदालत में उपस्थित मौतबिरान कौन थे तथा वसीयत के संबध में किए गये कथन के समर्थन में कोई फर्द भी तैयार नही की गई ना ही बयान लिये गये ना ही कोई हस्ताक्षर करवाये गये जिसके चलते तहसीलदार (भू.अ.) नोहर द्वारा लिया गया निष्कर्ष स्वेच्छाचारी होने की श्रेणी में आता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) नोहर का निर्णय कायम रखा जाना न्यायोचित नही है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे तहसीलदार (भू.अ.) नोहर का निर्णय दिनांक 13.06.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार (भू.अ.) नोहर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, वसीयत से संबधित सम्पूर्ण तथ्यो की जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

9. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर